

समस्त

जोनल एडीशनल कमिशनर /

एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) /

ज्वाइन्ट कमिशनर (वि0अनु0शा0) / कार्यपालक ,

डिप्टी कमिशनर (वि0अनु0शा0) / असिस्टेन्ट कमिशनर (स0द0) / (वि0अनु0शा0)

वाणिज्य कर विभाग , उत्तर प्रदेश ।

मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि कई मामलों में धारा- 48 (7) के परन्तुक के अन्तर्गत पारित आदेश , वाणिज्य कर अधिकरण या माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में बैंक गारंटी या नगद धनराशि से पृथक अन्य प्रकार की जमानत (other than cash and bank guarantee) जमा की जाती है तथा माल अवमुक्त कर दिया जाता है । परन्तु अधिकारी उक्त के सम्बन्ध में अन्य कोई भी कार्यवाही नहीं कराते हैं । परिणामस्वरूप बैंक गारंटी व अन्य प्रकार की जमानत का समय व्यतीत हो जाने के कारण वह कागज मात्र रह जाते हैं । जिससे राजस्व की अपूर्णनीय क्षति होती है । इस संबंध में अधिकारियों को कठोर निर्देश दिया जाता है कि जमा हुई जमानत के मामले में समयान्तर्गत विधिक प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए ताकि जमा हुई बैंक गारंटी अथवा अन्य जमानत कालबाधित न होने पायें । उक्त के अतिरिक्त अपंजीकृत व्यक्तियों / व्यापारियों द्वारा किये गये अवैध आयात के मामलों में जमा जमानत जमा कर माल अवमुक्त हो जाता है , जबकि धारा-54(1)(14) व धारा-54(1)(15) के अन्तर्गत 40 प्रतिशत की फिक्स्ड पेनाल्टी है । परन्तु अधिकारियों द्वारा अर्थदण्ड की कार्यवाही न करने के कारण राजस्व की क्षति हो रही है । इस संबंध में एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) व ज्वाइन्ट कमिशनर (वि0अनु0शा0) अपने निरीक्षण में इस तथ्य का संज्ञान अवश्य लेंगे तथा मासिक रूप से इसकी समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे । बैंक गारंटी कालबाधित होने की दशा में संबंधित सचलदल इकाई के अतिरिक्त पर्यवेक्षक अधिकारी की भी जिम्मेदारी नियत की जाएगी ।

मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य भी आया है कि अपंजीकृत के मामले में जमानत जमा हो जाने के पश्चात सचलदल अधिकारी प्रोफार्मा में आर्डर पारित कर देते हैं । जिसमें न तो समस्त तथ्य लिखे जाते हैं न ही अर्थदण्ड आरोपित करने का आधार लिखा जाता है । कई मामलों में अर्थदण्ड आदेश की धाराएं भी गलत लिख दी जाती हैं । अर्थदण्ड आदेश पारित होने के पूर्व जारी होने वाले अर्थदण्ड नोटिस में भी समस्त तथ्य नहीं लिखे जाते हैं । व्यापारी इसका लाभ अपील स्तर पर उठाते हुए आरोपित अर्थदण्ड को छुड़वा लेते हैं । यह स्थिति उचित नहीं है । एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) व ज्वाइन्ट कमिशनर (वि0अनु0शा0) इस संबंध में अपने अधीनस्थ सचलदल अधिकारियों को विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु मार्गदर्शन करेंगे । इस प्रकार सशक्त व विधिक आदेश पारित करते हुए की गई कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के साथ ही बड़े मामलों में अधिकारियों की प्रशंसा भी की जाएगी तथा प्रोफार्मा अथवा गलत धाराओं को लिखकर पारित आदेशों के संबंध में अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दृष्टिकोण अपनाया जाएगा ।

समस्त अधिकारी निष्ठा से अनुपालन सुनिश्चित करायें ।

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिशनर , वाणिज्य कर ,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।